इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018—पौष 26, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क. एफ 5–4/2013/29–2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्याक 68) की धारा 10 की उपधारा (3) और धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम के

अध्यक्ष के पद पर भर्ती एवं अन्य शर्तों हेतु उपबंध करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ,–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों का विस्तार मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम पर होगा।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं,–**

(1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68);

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है जिला फोरम का सदस्य;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है जिला फोरम का अध्यक्ष;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ङ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट चयन समिति;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किंतु परिभाषित नही की गई हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदिष्ट हैं।

3. **सेवा का गठन एवं आरक्षण,**– जिला फोरम के अध्यक्ष की सेवा का गठन निम्नानुसार होगा :–

(1) जिला फोरम के अध्यक्ष के पद सेवारत जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों से प्रति नियुक्ति पर भरे जायेंगे; अथवा

(2) प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सेवा का गठन एवं उसमें आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:–

(अ) 50 प्रतिशत पद सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों से भरे जायेंगे,

(ब) 50 प्रतिशत पद ऐसे विधि व्यवसायियों से भरे जायेंगे जो जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखते है:

परन्तु यदि जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले विधि व्यवसायी उपलब्ध न हों तो रिक्त पदों की पूर्ति सेवानिवृत जिला न्यायाधीशों से की जाएगी।

(स) जिला फोरम के अध्यक्षों के पद की नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंध लागू होंगे।

(द) मध्यप्रदेश जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित रोस्टर इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट–एक पर है।

4. **नियुक्ति की रीति,**–जिला फोरम के अध्यक्ष निम्नलिखित रीतियों से नियुक्त किए जायेंगे:–

(1) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों में से चयन द्वारा ; और

(2) ऐसे विधि व्यवसायियों में से चयन द्वारा जो जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं।

5. **अध्यक्ष के पद के लिए अर्हतायें,–**

अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हतायें और अनुभव निम्नानुसार होंगी:–

(1) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की दशा में,–

(क) उसकी आयु पेंसठ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और कार्य करने में वह पूर्णतः सक्षम होना चाहिए;

(ख) उसका सेवाकाल और पिछले तीन वर्षों की गोपनीय चरित्रावली बहुत अच्छी या अच्छी रही हो:

परन्तु ऐसा सेवानिवृत्त न्यायाधीश आवेदित पद के लिए अनर्ह होगा जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी हो, पदच्युत किया गया हो या न्यायिक सेवा से बर्खास्त किया गया हो:

परन्तु यह और कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक अधिकारी को दोषसिद्धि के पश्चात् उसे पदोन्नति प्रदान कर दी जाती है या आगामी वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाता है तो उपरोक्त उल्लिखित परन्तुक लागू नहीं होगा।

(2) विधि व्यवसायी की दशा में,–

कोई भी विधि व्यवसायी जिला फोरम के अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन करने का हकदार होगा यदि वह,–

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारक हो;

(ग) शारीरिक रूप से सक्षम हो और विज्ञापन दिनांक को 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(घ) अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव रखता हो;

परंतु ऐसे विधि व्यवसायी, आवेदित पद के लिए अर्नह होगा जिन्हें ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है या संघ या राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा में बैठने या चयन के लिए निवारित किया गया हो अथवा जिनके विरूद्ध राज्य अधिवक्ता परिषद या केन्द्रीय अधिवक्ता परिषद द्वारा कदाचरण हेतु दंडित किया गया हो या न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन दोषसिद्ध हुआ हो और दंडित किया गया है।

6. **चयन प्रक्रिया,**– अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) **रिक्तियों का विज्ञापन,**– जिला फोरम के अध्यक्ष के पद की रिक्तियों को राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित और आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा साथ ही जिला/फोरम के सूचना पटल पर चस्सा किया जायेगा। विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) **आवेदन पत्रों की संवीक्षा,**–

चयन समिति, उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन के संबंध में, प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षा समिति गठित करेगी। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा निम्नानुसार की जाएगी :–

(क) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दशा में,–

(एक) संवीक्षा समिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के समय उस प्रक्रिया को अपनाएगी जो उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों को सुपर–टाइम/चयन श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते समय अपनाती है।

(दो) संवीक्षा समिति, गोपनीय प्रतिवेदनों का अवलोकन करेगी और उसमें अंकित ग्रेड के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(ख) विधि व्यवसायियों के मामले में,–

(एक) संवीक्षा समिति प्राप्त समस्त आवेदनों की संवीक्षा करेगी। अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

(दो) विधि स्नातक परीक्षा में अर्जित अंकों और विधि व्यवसाय में कार्यानुभव के वर्षों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी:

परंतु विधि विषय में अतिरिक्त अर्हताओं या उच्च शैक्षणिक अर्हताओं को भी गणना में लिया जा सकेगा।

(ग) संवीक्षा उपरांत, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और विधि व्यवसायियों की मेरिट के आधार पर पृथक–पृथक सूची तैयार कर राज्य आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची एक पद के विरूद्ध चार अभ्यर्थियों के मान से शार्टलिस्ट की जाएगी जिसे भी राज्य आयोग की वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

7. लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम,–

(1) शार्टलिस्ट किए गए आवेदकों को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये आहूत किया जाएगा।

(2) लिखित परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र आदि की जानकारी राज्य आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जाएगी।

8. साक्षात्कार समिति,–

(1) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित साक्षात्कार समिति गठित की जाएगी, :–

1	चयन समिति का अध्यक्ष	–अध्यक्ष
2	चयन समिति का एक सदस्य	–सदस्य
3	चयन समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विषय–विशेषज्ञ	–सदस्य

(2) साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. **कार्यकाल,**–जिला फोरम के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, हो सकेगा ।

10. वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते :–

(1) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से नियुक्त जिला फोरम का अध्यक्ष उसके द्वारा आहरित अन्तिम सकल वेतन से सकल पेंशन को घटाकर वेतन का हकदार होगा।

(2) विधि व्यवसायियों में से नियुक्त जिला फोरम का अध्यक्ष (कुल पचास हजार रूपये) मासिक समेकित मानदेय प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) जिला फोरम के अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी और वाहन सुविधा उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में, उन्हें प्रतिमाह 60 लीटर डीजल के मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यदि अध्यक्ष द्वारा किन्ही अन्य जिलों में शासकीय भ्रमण करता है, तो उसे राज्य शासन में लागू ईधन के मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

I. **सेवा शर्तें :–**

(1) अध्यक्ष को नियुक्ति के पूर्व एक लिखित अभिवचन पत्र देना होगा कि उसमें न तो कोई वित्तीय या अन्य हित हैं या होंगे जो अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों को प्रतिकूलतः प्रभावित करते हों।

(2) अध्यक्ष लिखित में राज्य आयोग के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा किन्तु उसका पद तभी रिक्त होगा जब ऐसा त्यागपत्र राज्य शासन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।

(3) अध्यक्ष को उपबंध मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 के उप–नियम (5) के उपबंध के अधीन उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष की सेवा की शर्तों और निर्बन्धनों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके अलाभ के लिए फेरफार नहीं किया जाएगा।

(5) उपरोक्त उप–नियम (3) और (4) के अधीन या अन्यथा अध्यक्ष के त्यागपत्र या उसको हटाए जाने से कारित हुई रिक्ति को नयी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(6) जिला फोरम के अध्यक्ष को राज्य शासन के नियमों के अनुसार आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश की पात्रता होगी किन्तु उसे अर्धवैतनिक अवकाश और लघुकृत अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

(7) जिला फोरम के अध्यक्ष को अवकाश नगदीकरण व एल.टी.सी. (अवकाश यात्रा सुविधा) की पात्रता नहीं होगी किन्तु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति शासन के नियमों के अनुसार की जाएगी।

(8) जिला फोरम का अध्यक्ष, मासिक सत्कार भत्ता, मासिक चिकित्सा भत्ता, गणवेश भत्ता आदि का हकदार नहीं होगा, किन्तु पेंशनर के रूप में उसे प्राप्त हो रहे चिकित्सीय भत्ते प्राप्त होते रहेंगे।

(9) जिला फोरम का अध्यक्ष शासकीय दौरे के दौरान प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी को देय यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु उसे, राज्य आयोग के अध्यक्ष की पूर्वानुमति या कार्योत्तर अनुमति के बिना, निजी होटल व टैक्सी के व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति योग्य नहीं होगी।

(10) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को मुख्यालय स्थित आवास एवं कार्यालय पर टेलीफोन व इन्टरनेट की सुविधा उस सीमा तक प्राप्त होगी जो राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी को प्राप्त है।

(11) जिला फोरम के अध्यक्ष को मुख्यालय पर ही निवास करना आवश्यक होगा। और उसे शासकीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा और वह राज्य आयोग के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही मुख्यालय छोड़ सकेगा।

(12) जिला फोरम के अध्यक्ष को मुख्यालय पर शासकीय आवास की पात्रता होगी और शासकीय आवास की अनुपलब्धता की दशा में उसे कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार बिना गैरेज का 1500 वर्गफिट का आवास और गैरेज सहित 1700 वर्गफिट के आवास का गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि जिला फोरम के अध्यक्ष के पास मुख्यालय पर उसका स्वयं का निवास है तो वह शासन द्वारा निर्धारित गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(13) जिला फोरम के अध्यक्ष को, राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता नियम, 1987 के उपबंधों के अधीन पद से हटाया जा सकेगा।

(14) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पर चयनित अभ्यर्थी को चयन पश्चात् एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, यदि राज्य आयोग अध्यक्ष की राय में अभियर्थी का कार्य संतोषजनक नहीं है।

(15) जिला फोरम के अध्यक्ष पर नियुक्त व्यक्ति को गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा।

(16) जिला फोरम के अध्यक्ष पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात्, जब तक कि अभ्यर्थी के अनुरोध पर अवधि में वृद्धि न कर दी जाए, विनिर्दिष्ट अवधि में पदभार ग्रहण करना होगा। किसी भी स्थिति में इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा तीन माह से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। पद भार अवधि में वृद्धि करने या न करने का अधिकार अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के पास होगा।

(17) राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा जिला फोरम के अध्यक्ष को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा एवं स्थानांतरित अध्यक्ष, शासन द्वारा समस्त स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(18) उपरोक्त निर्धारित प्रकियायें, अर्हता एवं सेवा शर्तो अनुसार की गई समस्त नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

12. अप्रयोज्यता :—

(1) जिला फोरम के अध्यक्ष पद पर न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की दशा में इस नियम की कंडिका 3(1) को छोड़कर अन्य नियम उन पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

परिशिष्ट– एक

सीधी भर्ती के रोस्टर अनुसार आरक्षण की गणना

क्र.	रोस्टर बिन्दु कमांक	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए	अर्हता प्राप्त विधि व्यवसायी के लिए	महिला आरक्षण स्थिति
1.	अनारक्षित	✓		खुली
2.	अनुसूचित जनजाति		✓	खुली
3.	अनारक्षित		✓	महिला आरक्षित
4.	अनुसूचित जाति	✓		खुली
5	अनारक्षित	✓		खुली
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	✓		खुली
7	अनारक्षित		✓	खुली
8	अनुसूचति जनजाति	✓		खुली
9	अनारक्षित	✓		महिला आरक्षित
10	अनुसूचित जाति		✓	खुली
11	अनारक्षित		✓	महिला आरक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		✓	खुली
13	अनारक्षित	✓		खुली
14	अनुसूचित जनजाति		✓	खुली
15	अनारक्षित		✓	महिला आरक्षित
16	अनुसूचित जाति (विकलांग)	✓		खुली
17	अनारक्षित	✓		खुली
18	अन्य पिछड़ा वर्ग	✓		महिला आरक्षित
19	अनारक्षित		✓	खुली
20	अनुसूचित जनजाति	✓		महिला आरक्षित
21	अनारक्षित	✓		महिला आरक्षित
22	अनसूचित जाति		✓	खुली
23	अनारक्षित		✓	खुली
24	अनुसूचित जनजाति		✓	महिला आरक्षित
25	अनारक्षित	✓		खुली
		07 (अना.)	06 (अना.)	04 (अना.)
		02 (अ.ज.जा)	03 (अ.ज.जा)	02 (अ.ज.जा)
		02 (अ.जा.)	02 (अ..जा.)	01 (अ.जा.)
		02(अ.पि.व.)	01(अ.पि.व.)	01(अ.पि.व.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वी. एस. रावत, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. एफ-5-4-2013-29-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-4-2013-29-2, दिनांक 16 जनवरी, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एस. रावत, उपसचिव.

Bhopal, Dated : 16 January 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 and sub section (3) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes thc following rules for recruitment to the post of President of District Consumer Forum and other service conditions, namely: -

Rules

1. Short title, extent and commencement,-

(1) These rules may be called the Appointment of President of District Consumer Forum (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2018.

(2) They shall be applicable on the District Consumer Forums established in the state of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions, -

(1) Unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);

(b) 'Member' means a member of the District Consumer Forum;

(c) 'President' means the President of District Forum;

(d) 'Section' means the section of the Act;

(e) 'Selection Committee' means the selection committee referred to in sub-section (1-A) of section 10 of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

3. Constitution of service and reservation.-

The constitution of the District forum shall be as under:-

(1) The posts of President of Districts forum shall be filled with the judicial officers of the district judge level by deputation. Or

(2) In case of non - availability of judicial officers on deputation, the constitution of district forum and reservation therein shall be as under -

(a) 50% posts shall be filled up from the retired District Judges

(b) 50% posts shall be filled up from such legal practitioners who possesses the qualifications to be a district judge: Provided that if legal practitioners, possessing the qualifications to be a district judge, is not available, vacant post shall be filled by retired district judges.

(c) The provisions of Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

Other Backward Classes) Act, 1994 and Right to Disabled Persons Act, 2016 shall be applicable in the appointment to the post of President of the District Forum.

(d) The roster regarding the reservation in appointment to the post of District Forum is enclosed as Annexure-1 in these rules.

4. Mode of Appointment –

The President of the District Forum shall be appointed in the following manner, i.e.

(1) By selection from the retired district judges; and

(2) By selection from the such legal practitioners who possess qualification to be a district judge.

5. The Qualifications for the post of President, -

The qualifications and experience of the candidates applying to the post of president shall be as under :-

(1) In case of Retired District Judges :

(a) He should not be more than sixty five years of age and should be fully fit for the job;

(b) His service record and confidential reports for the last three years should be very good or good:

Provided that such retired District judge who has been compulsorily retired, removed or dismissed from the service, shall be disqualified for the post applied for:

Provided further that if the High Court, despite the conviction of any judicial officer promotes him or sanction next pay scale, the above mentioned proviso shall not be applicable.

(2) In case of a legal practitioner: A legal practitioner shall be entitled to apply for the post of President of the District Forum if,-

(a) he is a citizen of India;

(b) he possesses bachelor degree in law from any recognized university.

(c) he is physically fit and his age is not below the age of 35 years and not more than 65 years;

(d) he has minimum 7 years experience as an advocate:

Provided that such practising advocate who has been convicted of an offence involving moral turpitude or has been permanently debarred by the Union or State Public Service Commission from appearing for examination or selection or has been punished for misconduct for any duration by the Bar Council of Madhya Pradesh or by the Bar Council of India or has been convicted and sentenced under the contempt of Courts Act, 1971 shall be disqualified for the post applied for.

6. Selection process, - The selection process for the appointment to the post of president shall be as under:-

(1) Advertisement for the vacancies,-

The vacancies of the post of the President of the District Consumer Forums shall be advertised in at least two state level news papers and published on the website of the State Commission as well as be pasted on the Notice Board of the District Consumer Forum. The applications shall be invited on or before the date specified in the advertisement.

(2) Scrutiny of applications,- The State Commission shall constitute a scrutiny committee to scrutinize the applications received in relation to the advertisement under sub-rule (1). The scrutiny of the applications received shall be made as under:-

(a) In cases of retired judges-

(i) The Scrutiny Committee, at the time of the scrutiny of the applications received from the retired district judges, shall adopt the procedure which is adopted by the High Court for sanctioning the super-time/ selection grade pay scale to the judicial officers.

(ii) The Scrutiny Committee shall also peruse the Confidential reports and shall prepare a **seniority** list of all the candidates according to the grade mentioned therein.

(b) In case of legal practitioners, -

(i) The Scrutiny Committee shall scrutinize all the received applications. Incomplete applications or the applications received after the scheduled date shall be cancelled.

(ii) A merit list, based on the marks obtained in the Law Graduation Examination and years of work experience in the law profession, shall be prepared:

Provided that additional qualifications in law or higher academic qualifications may also be taken into account.

(c) After the scrutiny, separate lists of candidates belonging to retired district judges and legal practitioners, shall be prepared on the basis of merit and uploaded on the website of the State Commission. The lists shall be shortlisted on the basis of four candidates against one post which shall also be uploaded on the website of the State Commission.

7. **Scheme of written examination and Syllabus, -**

(1) Shortlisted applicants shall be called for written examination or interview or for both written examination and interview.

(2) The scheme of the written examination, syllabus and information about examination centres etc. shall be available on website of the State Commission.

8. **Interview Committee, -**

(1) The following interview committee shall be constituted by the selection committee for interviewing candidates

1. President, Selection Committee	- Chairman
2. Member, Selection Committee	- Member
3. Specialists nominated by the selection committee	- Member

(2) No travel allowance shall be payable for being present in the interview / written examination.

9. **Tenure**,-The President of District Forum shall hold office for a term of be 5 years or up to age of 65, whichever is earlier.

10. **Salaries, honorarium and other Allowances,-**

(1) The President of the district consumer forum appointed from the retired judges shall be entitled to salary by deducting the gross pension from the last gross salary drawn by him.

(2) The President of the district forum appointed from the practising lawyers shall be entitled to receive a consolidated honorarium of fifty thousand rupees per month.

(3) The Presidents of the district forum shall be provided vehicle facility in dependently and in case the vehicles are

not provided they shall be paid the cost of the 60 litres diesel per month. If the president makes the official visit to other districts, he shall be paid the cost of fuel applicable in the state government.

11. Service conditions,-

(1) Before appointment, the President shall have to submit an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President.

(2) The President may by writing under his hand and addressed to the President of State Commission resign his office at any time but his office shall become vacant only when such resignation is accepted by the State Government.

(3) The president may be removed from his office under the provision of sub-rule (5) of rule 3 of Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

(4) The terms and conditions of service of the President shall not be varied to their disadvantage during his tenure.

(5) A casual vacancy caused by resignation or removal of the President under sub rule (5) and (6) above or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(6) The president of the district forum shall be entitled to avail the casual and earned leave as per the state government rules but shall not be entitled for half pay leave or commuted leave.

(7) The president of the district forum shall not be entitled for leave encashment and L.T.C. but shall be entitled for medical reimbursement as admissible in the State government.

(8) The president of the district forum shall not be entitled for sumptuary allowance or medical allowance nor shall be paid uniform allowance, but medical allowance payable as a pensioner shall continue.

(9) The president of the district forum shall be entitled for travelling and daily allowances on official tours at the same rates as are admissible to Group A Officers of the State Government.

(10) The president of the district forum shall be provided telephone and internet facility at the HQ office to the extent which is applicable to Group A officer of the state government.

(11) The president of the district forum shall reside at the Head Quarter and shall be provided government accommodation and he may leave the head quarter with prior permission of the president of state commission.

(12) The President, who is appointed as the District Consumer Forum, will be eligible for Government accommodation at the headquarters but in case he is not provided any government accommodation then he will be paid housing allowance for an accommodation admeasuring 1500 sq.ft. without garage and 1700 sq.ft. accommodation with garage.

(13) The State Government may on the recommendation of the chairman of State Commission remove the President, of District Consumer Forum, under the provisions of Consumer Protection Rule, 1987.

(14) The selected candidates for the post of President of Forum shall be on probation initially for period of one year. Probation may be extended, if the president of the State Commission is of the opinion that candidate's performance is not satisfactory.

(15) The person appointed for the post of the President shall not be posted in his Home District.

(16) After the release of the appointment letter to the selected candidate, unless the period has been extended on the request of the candidate, he has to take office in the specified period. In any situation, this period will not be extended by the state government for more than 3 months and after this appointment will be considered as self-termination. The President, Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal, shall have the right to extend or not to extend the duration.

(17) The State Government may, on the recommendation of the State Commission, transfer the president of district forum from one district to another district and the president shall be entitled to receive all transfer allowances.

(18) The provisions of the Consumer Protection Act, 1986, Consumer Protection Rules, 1987 and Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 shall be binding on all the appointments made under these rules.

'12. Non-Applicability-

In case of appointment to the post of president of district forum on deputation by the judicial officers these rules shall not be applicable on them except clause 3(1) of these rules.

Annexure -1

Reservation as per Roster for direct recruitment

No	Roster Point Number	For retired district judges	For Qualified legal practitioner	Woman Reservation Status
1	Unreserved	✓		open
2	scheduled tribe		✓	open
3	Unreserved		✓	Women Reserved
4	scheduled caste	✓	✓	open
5	Unreserved	✓		open
6	Other backward classes	✓		open
7	Unreserved	✓	✓	open
8	Scheduled tribe	✓	✓	open
9	Unreserved	✓		Women Reserved
10	scheduled caste		✓	open
11	Unreserved		✓	Women Reserved
12	Other backward classes		✓	open
13	Unreserved	✓		open
14	scheduled tribe	✓	✓	open
15	Unreserved		✓	Women Reserved
16	Scheduled Castes (Disabled)	✓		open
17	Unreserved	✓		open
18	Other backward classes	✓		Women Reserved
19	Unreserved		✓	open
20	scheduled tribe	✓		Women Reserved
21	Unreserved	✓		Women Reserved
22	Scheduled Castes		✓	open
23	Unreserved		✓	open
24	scheduled tribe		✓	Women Reserved
25	Unreserved	✓		open
		07 (UR)	06 (UR)	04 (UR)
		02(ST)	03(ST)	02(ST)
		02(SC)	02(SC)	01(SC)
		02(OBC)	01(OBC)	01(OBC)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. S. RAWAT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.